© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 09 | October - December 2017

"विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता का तुलनात्मक अध्ययन"

शालू(शोधकर्त्री)
महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ. नव प्रभाकर गोस्वामी (निर्देशक)
प्राचार्य
विद्यास्थली महिला शिक्षण प्रशिक्षण
महाविद्यालय, जयपुर।

ISSN : 2348-5612 © URR
9 770234 856124

'शोध सारांश :– व्यवसायिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के जीवन और व्यक्तित्व पर इस भौतिक युग का दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक होती है तथा ऐसी स्थिति में उनका अपने कर्तव्य पथ से भटकना और दुर्व्यसनों में लिप्त हो जाना सहज हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनके व्यक्तित्व का विकास उनके व्यवसाय और भविष्य के समाज की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाता है। परिणामतः देश की नवीनतम ऊँचाइयों की ओर ले जाने वाले भविष्य के ये कर्णधार देश के लिए विकास में योगदान देने के स्थान पर निजी हित के पूजक बनकर अयोग्य नागरिक सिद्ध होते हैं और देश को पतन की ओर अग्रसर कर देते है। अतः प्रस्तुत समस्या को अध्ययन हेतु चयनित करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम यह ज्ञात कर सकें कि वर्तमान व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता का स्तर क्या है। प्रस्तुत शोधकार्य वर्तमान व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकेगा। इस 'शोध में सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत 'शोध में अध्ययन के न्यादर्श के रूप में बीकानेर संभाग के 4 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा चूरू के शिक्षा, कानून तथा आयुर्वेद महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन किया गया। जिसमें कुल 480 विद्यार्थियों में 160 विद्यार्थी शिक्षा महाविद्यालयों से, 160 विद्यार्थी कानून महाविद्यालयों से तथा 160 विद्यार्थी आयुर्वेद महाविद्यालयों से चयनित किये गये हैं। न्यादर्श चयन हेतु "स्तरीकृत यादृच्छित प्रतिचयन विधि" का प्रयोग किया गया है तथा समायोजनशीलता के अध्ययन के लिए "महाविद्यालयी छात्रों हेतु समायोजन अनुसूची" – ए. के.पी. सिन्हा एवं आर.पी. सिंह द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ों के हेतु विश्लेषण मध्यमान, प्रमाप विचलन, क्रान्तिक अनुपात मान, प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता का

प्रयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर परिणाम,निश्कर्ष 'शैक्षिक उपयोगिता व सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्तावना :– व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को अधिकांशत : अपने चिर–परिचित वातावरण एवं घर–परिवार से दूर रहकर अध्ययन के लिए नये वातावरण में जाना पड़ता है तथा उनका कार्यक्षेत्र भी सामान्य शिक्षा से भिन्न होता है। अतः ऐसी स्थिति में उन विद्यार्थियों को नवीन परिस्थितियों एवं नये दायित्वों को समझना व उनके साथ तालमेल बिठाना होता है। किन्तु वर्तमान में यह देखने में आता है कि नये वातावरण में समायोजित होने व अपने दायित्वों तथा नये सम्पर्को एवं पारिवारिक रिश्तों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में युवा असमर्थ होते जा रहे है तथा शुसमायोजित होने के स्थान पर उसके कुसामोजित होने की सम्भावनाएँ बढ़ती जा रही है।

अपने भावी जीवन और सफलता के कामना के साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों के लिए समस्याओं से भरे समाज में असफलताओं, बुरी संगति, गलत आदतों, परिवार से दूरी आदि कारणों से स्वयं की एक कमजोर तथा गलत छवि बना लेने की पर्याप्त संभावनाएँ हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि छात्र का दृष्टिकोण स्वयं के प्रति अपेक्षा भी अपूर्ण ही रह जायेगी। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों में 'शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाये ताकि उनका व्यक्तित्व पूर्ण हो सके तथा वे समाज के उपयुक्त अंग के रूप में समायोजित होकर समाज की उन्नति में योगदान दे सकें। इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर शोधकर्त्री विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता के विषय में जानने के लिए उत्सुक हुई।

अध्ययन की आवश्कता एवं महत्व – बीसवीं 'शताब्दी में शिक्षा का स्वरूप बदल गया और सभी सम्प्रत्यय अपने मूल अर्थ से बाहर जाने लगे, परिणामस्वरूप विज्ञान एवं तकनीकी तथा मनोविज्ञान के सम्मिलित प्रभाव से उनकी दशा, प्रवृत्ति, चिंतन एवं उद्देश्य भी बदल गया। पूरा तंत्र व्यावसायिक, औद्योगिक तथा व्यावहारिक शिक्षा के ताने–बाने में उलझ गया और सभी लोगों की प्रवृत्ति अर्थ प्रधान शिक्षा की धारा में मिलने लगी है। सबका उद्देश्य धनोपार्जन ही हो गया, जो कि पहले भी था पर उतना अधिक नहीं जितना कि आज है। मुदालियर आयोग ने 1952 में इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम अलग चलाने का सुझाव दिया था जिसे 1986 की नई शिक्षा नीति में भी विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित

समायोजनशीलता का अध्ययन करना आवश्यक है। व्यवसायिक वर्ग से जुड़े विद्यार्थियों की सामान्य मनोवैज्ञानिक विचारधारा अन्य पाठ्यक्रमों से भिन्न होती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो छात्र प्रवेश लेते है उनका सम्पूर्ण व्यवहार अर्थोन्मुखी होता जाता है क्योंकि प्रवेश से लेकर परीक्षा तक वे केवल इसी दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं कि उन्हें इस व्यवसाय में जाकर उच्च स्तर के भौतिक जीवनयापन हेतु अर्थोपार्जन करना है। अतः समायोजनशीलता, की दृष्टी से ऐसे विद्यार्थी सामान्य पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से तो भिन्न होते ही है साथ ही उनमें आपस में भी भिन्नता होती है। प्रस्तुत 'शोध के माध्यम से हम ये जान पायेंगे कि विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता का स्तर क्या है? तथा इनकी समायोजनशीलता में अन्तर है या नहीं?

आज के परिप्रेक्ष्य में यह 'शोध' प्रबन्ध उन मान्यताओं एवं सिद्धान्तों को व्याख्यायित करेगा जो वर्तमान औद्योगिक तथा तकनीकी युग में समाज में समाज के इन तीनों सम्मानित व्यावसायिक वर्गो के व्यवहार में दिखाई देते है। यह 'शोध प्रबन्ध इसलिए भी उपयोगी होगा कि अधिकांश विद्यार्थी व्यावसायिक प्रवृति के होते हैं।

इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर शोधकत्री ने विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता का अध्ययन'' विषय पर शोध करने का निश्चय किया है।

अध्ययन का औचित्य –शिक्षा समाज और राष्ट्र की कच्ची सामग्री, अर्थात विद्यार्थियों का निर्माण करती है। शिक्षा एवं संस्कारों की आधारशिला पर विद्यार्थी भविष्य के प्रबुद्ध वैज्ञानिक, समर्पित राजनेता, दशभक्त एवं ईमानदार कर्मचारी बनकर देश के कर्णधार बनते है। किसी भी देश के चहुँमुखी विकास में विद्यार्थियों का आधारभूत एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक व्यक्ति को समाज एवं राष्ट्र के योग्य बनाने में उसके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक गुणों की अहम भूमिका होती है। इन विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों के अन्तर्गत समायोजनशीलता प्रमुख है। समायोजनशीलता के सन्दर्भ में किये गये 'शोध कार्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि चयनित समस्या से सम्बन्धित चर पर अलग–अलग बहुत से 'शोधकार्य किये गये है किन्तु तीनों चयनित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (कानून, शिक्षा एवं आयुर्वेद) के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता के सन्दर्भ में कोई 'शोधकार्य अभी प्रकाश में नही आया है। 'शोधकर्त्री को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में समायोजनशीलता की अध्ययन इसलिए औचित्यपुर्ण लगा क्योंकि ये चर व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होता है। अतः 'शोधकर्त्री ने अपने अध्ययन हेतु इस समस्या का चयन किया तथा

इसे अपने 'शोध का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बनाया। 'शोधकर्त्री को यह विश्वास है कि इस 'शोध का परिणाम शिक्षा जगत को योगदान देने में सहायक होगा।

अध्ययन के उद्देश्यः–

i. शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
ii. शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
iii. कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :–

i. शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
ii. शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
iii. कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन विधि :–

अध्ययन हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श चयन विधि –

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श चयन हेतु "स्तरीकृत यादृच्छित प्रतिचयन विधि" का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत 'शोध में न्यादर्श के रूप में बीकानेर संभाग के 4 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा चूरू के शिक्षा, कानून तथा आयुर्वेद महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्रत्येक जिले से 120 विद्यार्थियों एवं चारों जिलों से कुल 480 विद्यार्थियों का चयन कर दत संकलन कार्य किया गया है। इन 480 विद्यार्थियों में 160 विद्यार्थी शिक्षा महाविद्यालयों से, 160 विद्यार्थी कानून महाविद्यालयों से तथा 160 विद्यार्थी आयुर्वेद महाविद्यालयों से चयनित किये गये हैं।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

क्र.सं.	परीक्षण का नाम	परीक्षण निर्माणकर्ता
1	महाविद्यालयी छात्रों हेतु समायोजन अनुसूची	ए.के.पी. सिन्हा एवं आर.पी. सिंह

अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकी –

अध्ययन की प्रकृति एव उदेश्यों के आधार पर प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाप विचलन, क्रान्तिक अनुपात मान, प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

अध्ययन में विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता से संबधित प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

सारणी – 4.1

शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता के विभिन्न आयामों के प्राप्तांकों के मध्य क्रान्तिक अनुपात की गणना

पक्ष	पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी	संख्या	माध्य	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर	
						0.05	0.01
गृह	शिक्षा	160	7.24	1.20	0.09	सार्थक अंतर नहीं है	
	कानून	160	7.23	2.76			
स्वास्थ्य	शिक्षा	160	8.03	1.23	1.32	सार्थक अंतर नहीं है	
	कानून	160	7.84	1.30			
सामाजिक	शिक्षा	160	9.56	1.00	0.34	सार्थक अंतर नहीं है	
	कानून	160	9.52	0.96			
सांवेगिक	शिक्षा	160	13.13	2.13	2.32	सार्थक अंतर है	सार्थक अंतर नहीं है
	कानून	160	12.9	2.00			
शैक्षिक	शिक्षा	160	10.65	1.48	1.23	सार्थक अंतर नहीं है	
	कानून	160	10.46	1.33			
सम्पूर्ण	शिक्षा	160	48.61	3.42	2.54	सार्थक अंतर है	सार्थक अंतर नहीं है
	कानून	160	47.64	3.40			

उक्त तालिका में शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता मापनी के विभिन्न आयामों गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक) तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता के प्राप्तांकों के मध्यमानों, मानक विचलन व क्रान्तिक अनुपात के मान की गणना की गई है। गणना

के आधार पर इन दोनों समूहों (शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों) के समायोजनशीलता विभिन्न आयामों गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता के क्रान्तिक अनुपात के मान क्रमशः 0.09ए 1.32ए 0.34ए 2.32ए 1.23 व 2.54 प्राप्त हुए हैं। जिनका विश्लेषण निम्न प्रकार है।

तालिका में स्वतंत्रता के अंश 318;कद्धि क्रान्तिक अनुपात का मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.97 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.59 दिया गया है। शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के सांवेगिक व सम्पूर्ण समायोजनशीलता के क्रान्तिक अनुपात का मान क्रमशः 2.32 व 2.54 हैं जो 0.05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान से अधिक है परन्तु 0.01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः निर्मित 'शुन्य परिकल्पना को 0.01 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की सांवेगिक व सम्पूर्ण समायोजनशीलता में आंशिक अन्तर पाया गया है।

शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के समायोजनशीलता के अन्य आयामों यथा गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक व 'शैक्षिक समायोजनशीलता के प्राप्तांकों के आधार पर क्रांतिक अनुपात मान क्रमशः 0.09ए 1.32ए 034 व 1.23 हैं, जो कि 0.05 व 0.01 दोनों सार्थकता स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः निर्मित 'शुन्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों ;0.05 व 0.01द्ध पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक व 'शैक्षिक समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना संख्या –2 शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी – 4.2

शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता के विभिन्न आयामों के प्राप्तांकों के मध्य क्रान्तिक अनुपात की गणना

पक्ष	पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी	संख्या	माध्य	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर	
						0.05	0.01
गृह	शिक्षा	160	7.24	1.20	0.09	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	7.26	1.31			
स्वास्थ्य	शिक्षा	160	8.03	1.23	0.76	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	8.13	1.27			
सामाजिक	शिक्षा	160	9.56	1.00	0.22	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	9.58	1.07			

सांवेगिक	शिक्षा	160	13.13	2.13	1.18	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	12.86	1.94			
शैक्षिक	शिक्षा	160	10.65	1.48	0.00	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	10.65	1.46			
सम्पूर्ण	शिक्षा	160	48.61	3.42	0.34	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	48.48	3.24			

उक्त तालिका में शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता मापनी के विभिन्न आयामों गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक) तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता के प्राप्तांकों के मध्यमानों, मानक विचलन व क्रान्तिक अनुपात के मान की गणना की गई है। गणना के आधार पर इन दोनों समूहों (शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों) के समायोजनशीलता विभिन्न आयामों गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता के क्रान्तिक अनुपात के मान क्रमशः 0.09ए 0.76ए 0.2ए 1.18ए 0.00 व 0.4 प्राप्त हुए हैं। जिनका **विश्लेषण** निम्न प्रकार है।

तालिका में स्वतंत्रता के अंश 318;कद्धि क्रान्तिक अनुपात का मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.97 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.59 दिया गया है। शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के समायोजनशीलता मापनी के विभिन्न आयामों यथा– गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता के क्रान्तिक अनुपात का मान क्रमशः 0.09ए 0.76ए 0.22ए 1.18ए 0.00 व 0.34 प्राप्त हुए हैं, जो कि 0.05 व 0.01 दोनों सार्थकता स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः निर्मित 'शुन्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों ;0.05 व 0.01द्ध पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता मापनी के विभिन्न आयामों यथा– गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना संख्या –3 कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी – 4.3

कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता के विभिन्न आयामों के प्राप्तांकों के मध्य क्रान्तिक अनुपात की गणना

पक्ष	पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी	संख्या	माध्य	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	**सार्थकता स्तर**	
						0.05	**0.01**
गृह	कानून	160	7.23	1.22	0.18	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	7.26	1.31			

स्वास्थ्य	कानून	160	7.84	1.30	2.04	सार्थक अंतर है	सार्थक अंतर नहीं है
	आयुर्वेद	160	8.13	1.27			
सामाजिक	कानून	160	9.52	0.96	0.55	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	9.58	1.07			
सांवेगिक	कानून	160	12.59	2.00	1.22	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	12.6	1.94			
शैक्षिक	कानून	160	10.46	1.33	1.24	सार्थक अंतर नहीं है	
	आयुर्वेद	160	10.65	1.46			
सम्पूर्ण	कानून	160	47.64	3.40	2.27	सार्थक अंतर है	सार्थक अंतर नहीं है
	आयुर्वेद	160	48.48	3.24			

उक्त तालिका में कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित समायोजनशीलता मापनी के विभिन्न आयामों गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक) तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता के प्राप्तांकों के मध्यमानों, मानक विचलन व क्रान्तिक अनुपात के मान की गणना की गई है। गणना के आधार पर इन दोनों समूहों (कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों) के समायोजनशीलता विभिन्न आयामों गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता के क्रान्तिक अनुपात के मान क्रमशः 0.18ए 2.04ए 0.5ए 1.22ए 1.24 व 2.24 प्राप्त हुए हैं। जिनका **विश्लेषण** निम्न प्रकार है।

तालिका में स्वतंत्रता के अंश 318;कद्धि क्रान्तिक अनुपात का मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.97 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.59 दिया गया है। कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सम्पूर्ण समायोजनशीलता के क्रान्तिक अनुपात का मान क्रमशः 2.04 व 2.24 हैं जो 0.05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान से अधिक है परन्तु 0.01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः निर्मित **शून्य** परिकल्पना को 0.01 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य व सम्पूर्ण समायोजनशीलता में आंशिक अन्तर पाया गया है।

कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के समायोजनशीलता के अन्य आयामों यथा गृह, सामाजिक, सांवेगिक व शैक्षिक 'समायोजनशीलता के प्राप्तांकों के आधार पर क्रांतिक अनुपात मान क्रमशः 0.18ए 0.55ए 1.22 व 1.24 हैं, जो कि 0.05 व 0.01 दोनों सार्थकता स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः निर्मित 'शुन्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों ;0.05 व 0.01द्ध पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की गृह, सामाजिक, सांवेगिक व 'शैक्षिक समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष :–

(i) शिक्षा एवं कानून पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित सांवेगिक व सम्पूर्ण समायोजनशीलता में आंशिक अन्तर पाया गया है। शिक्षा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में सांवेगिक व सम्पूर्ण समायोजनशीलता कानून पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से अधिक पाई गई है। जबकि समायोजनशीलता के अन्य सभी आयामों यथा– गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक व ''शैक्षिक समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

(ii) शिक्षा एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता मापनी के विभिन्न आयामों यथा– गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक व ''शैक्षिक तथा सम्पूर्ण समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

(iii) कानून एवं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों में निहित स्वास्थ्य व सम्पूर्ण समायोजनशीलता में आंशिक अन्तर पाया गया है। कानून पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में सांवेगिक व सम्पूर्ण समायोजनशीलता आयुर्वेद पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से कम पाई गई है। जबकि समायोजनशीलता के अन्य सभी आयामों यथा– गृह, सामाजिक, सांवेगिक व ''शैक्षिक समायोजनशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शैक्षिक उपयोगिता :–

आज के समय में हर एक विद्यार्थी अपने आप को विभिन्न व्यायसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा यथा कला, कानून आयुर्वेद या अन्य पाठ्यक्रम की शिक्षा के द्वारा अपने आप को सफल बनाना चाहता है। इस सफलता के लिए विद्यार्थी प्रतियोगिता के बीच फसकर अपनी व्यक्तिगत स्थिति से अनभिज्ञ सा हो गया है। विकास की इस दौड़ में सबसे महत्त्वपूर्ण उसका व्यक्तित्व होता है। उसके व्यक्तित्व से जुड़ी उन सभी समस्याओं **विशेष** रूप से समायोजनशीलता का विकास भी उतना ही

जरूरी है जितना वो सफल होने के लिए प्रयत्न करता है। प्रतिस्पर्धा में वह इन व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं से अनभिज्ञ रहकर सफल होने के लिए मेहनत करेगा उतना ही वह व्यक्तिगत समस्याओं में घिर जायेगा। क्योंकि समायोजनशीलता का स्तर ही उसके सफल या असफल होने को निर्धारित करता है। इस कारण सभी वर्ग के विद्यार्थियों में अपनी समायोजनशीलता में विकास का प्रयास होना चाहिए तभी सभी विद्यार्थी परिवार व समाज में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर पायेंगे। प्रस्तुत 'शोध कार्य विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समायोजनशीलता पर 'शोध कार्य कर उन विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, समाज एवं राष्ट्र को एक दिशा देने का प्रयत्न किया गया है।

यह 'शोध अभिभावकों व शिक्षकों को यह संदश देता है कि विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता के स्तर में वृद्धि कर वर्तमान में होने वाली व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। इस प्रकार यह 'शोध इन विद्यार्थियों की समायोजनशीलता के स्तर का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगा। उक्त 'शोध राजस्थान सरकार, समाज व अभिभावकों को सोचने के लिए मजबुर करता है कि वह ऐसे क्रियाकलाप, आयोजन, प्रेरणादायक प्रसंग व उचित अवसर विद्यार्थियों के सम्मुख रखें जिससे उनमें उनके व्यक्तित्व की आवश्यकतानुसार उचित व सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, क्योंकि ये विद्यार्थी ही हमारे भारत देश की आधारशिला हैं। जब तक आधार मजबुत व उचित प्रारूप में नहीं होगा उस पर मजबुत व भव्य इमारत का खड़ा होना असंभव होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक विद्यार्थियों का उचित व आवश्यकतानुसार विकास नहीं होगा, तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है, क्योंकि युवावर्ग का देश को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण व सराहनीय योगदान रहा है अतः आवश्यक है कि ये विद्यार्थी देश को आगे बढ़ाने हेतु आधारशिला बने।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हेनरी, ई. गेरेट (2010), 'शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग", कल्याणी पब्लिकर्स, लुधियाना। पृ.सं.392–393
2. अस्थाना, डॉ. बिपिन एवं श्री वास्तव, डॉ. विजया (2011), " शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी", अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा। पृ.सं.440

3. प्रसाद, केशव (2008) ''हिन्दी शिक्षण'' धनपतराय पब्लिसिंग कम्पनी, नई दिल्ली पेज – 102